<u>न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> जिला बैत्ल

<u>दांडिक प्रकरण कः - 249 / 11</u> संस्थापन दिनांकः - 30 / 08 / 11 फाईलिंग नं. 233504000042011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला–बैतूल (म.प्र.)

...... अभियोजन

वि रू द्व

चंदन पिता इलमसिंह राजपूत उम्र 20 वर्ष, निवासी कोंढरखापा, थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....अभियुक्त

<u>-: (नि र्ण य) :-</u>

(आज दिनांक 27.04.2018 को घोषित)

- 1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279, 337 (दो काउंट में), 304(ए) भाठदंठसंठ एवं धारा 3/181, 146/196 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 18.06.2011 को शाम 05:45 बजे बुण्डाला मुख्य नहर उमिरया रोड 15 किमी. थाना आमला जिला बैतूल में द्रेक्टर दाली को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्ण तरीके से संचालित कर मानव जीवन संकटापन्न किया एवं उक्त द्रेक्टर दाली को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक तरीके से संचालित कर पलटाकर उसमें बैठे चंदन, मुकेश, कनकिसंह को स्वेच्छया उपहित कारित की एवं टिनू उर्फ दीपू उर्फ सरस्वती की ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती तथा उक्त द्रेक्टर को बिना लायसेंस एवं बिना बीमे के चलाया।
- 2 प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि आहत मुकेश को न्यायालय द्व ारा दिनांक 26.10.2017 को फौत घोषित किये जाने के कारण उसकी साक्ष्य अंकित नहीं की गयी है।
- 3 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 18.06.2011 को शाम 05:45 बजे फरियादी वीरसिंह बुण्डाला डेम की मुख्य नहर के पास पुलिया के पास पहुंचा तभी खरपड़ाखेड़ी तरफ से कोंढरखापा का ट्रेक्टर जिसमें ड्रायवर व चार व्यक्ति बैठे थे, ट्रेक्टर के ड्रायवर ने वाहन को लापरवाही से चलाकर नहर में ट्रेक्टर ट्राली पलटा दिया जिससे उसमें बैठे तीन व्यक्ति, एक लड़की को चोट आयी। जिसमें से टिनू उर्फ दीपू की मृत्यु हो गयी थी एवं मुकेश,

कनक और चंदन को चोटें आयी थी।

- 4 फरियादी द्वारा दर्ज करायी गयी रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में मंर्ग इंटीमेशन क. 41/11 लेखबद्ध किया गया तथा जांच पंश्चात अभियुक्त चंदनसिंह के विरूद्ध अपराध क. 190/11 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। आहतगण का चिकित्सकीय परीक्षण एवं मृतक का पोस्टमार्टम करवाया गया। घटना स्थल से द्रेक्टर एवं द्राली नंबर एमपी—48—एम—2395 एवं अभियुक्त से द्रेक्टर एवं द्राली का रिजस्द्रेशन जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
- 5 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

6 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

- 1. क्या अभियुक्त ने घटना, दिनांक, समय व स्थान पर द्वेक्टर द्वाली को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्ण तरीके से संचालित कर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
- 2. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना, दिनांक, समय व स्थान पर उक्त द्वेक्टर द्वाली को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक तरीके से संचालित कर पलटाकर उसमें बैठे मुकेश, कनकसिंह को स्वेच्छया उपहति कारित की ?
- 3. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना, दिनांक, समय व स्थान पर उक्त द्रेक्टर द्राली को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक तरीके से संचालित कर पलटाकर टिनू उर्फ दीपू उर्फ सरस्वती की ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती ?
- 4. क्या घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने उक्त ट्रेक्टर को बिना लायसेंस एवं बिना बीमे के चलाया ?
- 5. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

विचारणीय प्रश्न क. 01, 02, 03 एवं 04 का सकारण निष्कर्ष

- 7 उपर्युक्त चारों विचारणीय प्रश्न साक्ष्य के एक ही अनुक्रम से संबंधित होने से साक्ष्य दोहराव से बचने की दृष्टि से तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- 8 नान्हू (अ.सा.—3) ने यह बताया है कि उसे फोन पर जानकारी मिली कि उसकी बेटी सरस्वती की ट्रेक्टर द्राली के पलटने से मृत्यु हो गयी है। कनक सिंह (अ.सा.—6) ने यह बताया है कि घटना के समय वह, टीनू उर्फ सरस्वतीबाई और मुकेश ट्रेक्टर से आ रहे थे। ट्रेक्टर कटी नहीं और किनार पर कूद गयी जिससे उसका दांहिना पैर टूट गया था। टीनू उर्फ सरस्वतीबाई की मृत्यु हो गयी थी और मुकेश को चोटें आयी थी। महेंद्र सिंह (अ.सा.—2) ने यह बताया है कि उसे फोन पर सूचना मिली थी कि ट्रेक्टर द्राली पलट गयी है और उसके नीचे कुछ लोग दबे हुए है और एक महिला की मृत्यु हो गयी है। वीरसिंह (अ.सा.—1) ने यह बताया है कि उसे गांव वालों ने यह बताया था कि ट्रेक्टर द्राली का एक्सीडेंट हो गया है ट्रेक्टर द्राली नहर में घुस गयी है और ट्रेक्टर द्राली में बैठी एक महिला को चोट लगी है।
- डॉ. बी.पी. चौरिया (अ०सा०-८) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 18.06.2011 को सीएचसी आमला में मेडिकल आफिसर के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत चंदन सिंह का परीक्षण किये जाने पर आहत को फटा हुआ घाव 1 गुणा 0.5 इंच ठुडडी पर मासपेशी की गहराई तक निचले इंसाईजर दांत अपने सॉकिट से हट गये एवं मसुडे से खुन आ रहा था एवं आहत के माथे पर 1 गुणा 1 इंच बाई ऑख के बाहरी तरह 1 गुणा 1 इंच नाक के नीचे 1 गुणा 1 इंच दांई अग्र भुजा के पीछे तरह 1 गुणा 0.5 इंच दाये हाथ के पंजे के बाहरी तरफ 2 गुणा 1 इंच दांये घुटने के अंदर की तरफ 1 गुणा 1 इंच आकार के घिसड़े पाये थे। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि आहत मुकेश का परीक्षण करने पर आहत की दांहिने ऑख के भौंह के उपर 2 गुणा 1 से0मी0 आकर का फटा हुआ घाव दांहिने अग्रभुजा की पीछे तरफ एवं ध ाटने पर 1 गुणा 1 से0मी0 का आकार का घिसडा पाया था तथा आहत कनकसिंह का परीक्षण करने पर बांई जांघ के पीछे तरफ मांसेपशी की गहराई तक 3 गुणा 1 इंच फटा हुआ घाव बांयी अग्रभुजा के पीछे तरफ 1 गुणा 1 इंच आकार का घिसड़ा, दांहिन पैर के अंदर की तरफ मांसपेशी की गहराई तक 1 गुणा 2 इंच, दांहिनी एंडी की पीछे तरफ 1 गुणा 1 इंच आकार का फटा ६ गाव एवं दांहिने पैर के पंजे के निचले तरफ कुचला हुआ घाव पाया था। साक्षी ने उसके द्वारा दी गयी एमएलसी रिपोर्ट प्रदर्श पी-12, प्रदर्श पी-13 एवं प्रदर्श पी-14 को प्रमाणित किया है।

- डॉ. बी.पी. चौरिया (अ.सा.–8) ने यह भी प्रकट किया है कि उसने 10 दिनांक 19.6.11 मृतक टीनू उर्फ सरस्वतीबाई का शव परीक्षण किया था। परीक्षण के दौरान मृतक के शरीर पर फटा हुआ घाव 4 गुणा 2 इंच एल सैब में सिर की हड्डी की उपरी भाग से बांयी ऑख तक हडडी की गहराई तक, बांयी जांघ के बीच वाले भाग में आगे की तरफ 4 गुण 2 इंच हड्डी की गहरायी तक का फटा हुआ घाव, दाहिनी ह्यूमरस हड्डी बाहर से देखने पर टूटी हुई लग रही थी एवं बांयी पैराईटल हड़डी में 2 इंच लंबाई का फेक्चर था। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि मृतक को आयी सभी चोटें मृत्यू के 6 घंटे के भीतर आयी थी। साक्षी ने उसके द्वारा दी गयी शव परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श पी–15) का प्रमाणित भी किया है। उपर्युक्त साक्षी तथा साक्षी नान्हू (अ.सा.–3), कनकसिंह (अ.सा.-6), महेंद्र सिंह (अ.सा.-2) और वीरसिंह (अ.सा.-1) के कथनों से घटना दिनांक को टीनू उर्फ सरस्वतीबाई की मृत्यू होने एवं कनकसिंह तथा मुकेश को चोट आने की तथ्य की संपृष्टि होती है। साथ ही डॉक्टर साक्षी बी.पी. चौरिया (अ.सा.-8) के कथनों से अभियुक्त चंदनसिंह पिता ईलमसिंह को भी दुर्घटना में चोट आने के तथ्यों की पृष्टि होती है।
- लख्खू साहू (अ.सा.-4) ने दिनांक 18.06.2011 को थाना आमला 11 में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को उसे बुण्डाला डेम के पास दुर्घटना की सूचना मिलने पर उसने मौके पर जाकर वीर सिंह के बताये अनुसार कं0-0 / 11 धारा 174 सी0आर0पी0सी का मर्ग इंटीमेशन (प्रदर्श पी-1) लेखबद्ध किया था तथा मर्ग की कार्यवाही के बाद अपराध घटित पाये जाने पर उसके द्वारा अपराध कं० 190 / 11 धारा 279, 337, 304ए का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने मृतिका टीन् उर्फ सरस्वतीबाई का शव परीक्षण करवाया था एवं दिनांक 19.06.11 मृतिका का सिफना फार्म (प्रदर्श पी-2) तैयार किया था, नक्शा पंचनामा (प्रदर्श पी-3), ह ाटना स्थल का मौका नक्शा (प्रदर्श पी-4), घटना स्थल से द्रैक्टर एवं द्राली छतिग्रस्त हालत में जप्त कर जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी-5) के दस्तावेज तैयार किये थे तथा दिनांक 31.07.2011 को ट्रेक्टर एवं द्राली के कागजात जप्त कर (प्रदर्श पी-8) का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफ़तार कर (प्रदर्श पी-9) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि अभियुक्त के पास लायसेंस न होने पर उसने धारा 3/181 146/196 मोटरयान अधिनियम का ईजाफा किया था।
- 12 शेख इब्राहिम (अ.सा.—7) ने अपने न्यायालयीन कथन में प्रकट किया है कि उसी अय्यूब मोटर रिपेरिंग वर्कशॉप के नाम से बस स्टेंड मुलताई में दुकान है। उसे वाहन सुधारने एवं चलाने का 40 वर्ष का अनुभव है। दिनांक 31.07.2011 को उसके द्वारा द्वेक्टर क. एमपी—48—एम—2394 एवं द्वाली क. एमपी—48—एम—2395 का परीक्षण किया था जिस पर उसने वाहन का ब्रेक,

क्लच, टायराइड, लाईट, हार्न, सभी ठीक हालत में पाया था। स्टेरिंग प्ले ज्यादा था। रेडिएटर फूटा था। ज्ञायवर साईड का हेडलाईट टूटा हुआ तथा ज्ञायवर साईड का मडघाट पूरा टेड़ा था एवं सामने का शो पूरा टेड़ा था एवं दोनों बोनट टेड़े थे तथा ब्रेक लाईट नहीं था। ज्ञायवर साईट क डिस्क टेड़ी थी। साक्षी ने उसके द्वारा दी गयी मैकेनिकल परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श पी—11) को प्रमाणित किया है।

बचाव अधिवक्ता का यह तर्क है कि प्रकरण में किसी भी साक्षी ने अभियुक्त के द्वारा वाहन को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाये जाने के संबंध में कथन नहीं किये है। आहत के अतिरिक्त शेष समस्त साक्षी अनुश्रुत साक्षी हैं। बचाव अधिवक्ता के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में भजनसिंह (अ.सा.–5) ने यह बताया है कि उसके समक्ष अभियुक्त से न तो कूछ जप्त किया गया था और न ही उसे गिरफ्तार किया गया था। लेकिन जप्ती एवं गिरफ्तारी प्रपत्रों पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव को सही बताया है कि अभियुक्त चंदन झायवर है और ट्रेक्टर चलाता है परंतु इस सुझाव को गलत बताया है कि पुलिस ने चंदन से ट्रेक्टर क. एमपी-48-एम-2394 एमपी-48-एम-2395 जप्त की थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव को सही बताया है कि उसके समक्ष अभियुक्त से ट्रेक्टर ट्राली जप्त नहीं की गयी थी उसने घटना दिनांक को अभियुक्त को द्रेक्टर द्राली चलाते नहीं देखा था। वीरसिंह (अ.सा.–1) ने यह बताया है कि उसे गांव वालों ने यह बताया था कि द्रेक्टर द्राली का एक्सीडेंट हो गया है और उसमें बैठी एक महिला को चोट लगी है। उसके समक्ष पुलिस ने लाश के संबंध में लिखापढ़ी की थी जिसका नोटिस (प्रदर्श पी–2), नक्शा पंचायतनामा (प्रदर्श पी–3) है और उसके सामने मौका नक्शा तैयार किया गया था जिस पर उसके हस्ताक्षर है लेकिन उसके समक्ष मौके से कोई जप्ती नहीं हुई थी लेकिन जप्ती पत्रक में उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न साक्षी से पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि उसके सामने ट्रेक्टर के द्धायवर ने द्वेक्टर द्वाली को लापरवाही से चलाकर पलटा दिया था जिसमें बैठे तीन व्यक्ति और एक लड़की को चोट लगी थी। इस सुझाव को भी गलत बताया है कि उसके सामने अभियुक्त चंदन और कनकसिंह को चोटें लगी देखी थी। इस सुझाव को भी गलत बताया है कि ट्रेक्टर ट्राली एमपी-48-एम-2395 उसके समक्ष जप्त की गयी थी। इस सुझाव को भी गलत बताया है कि अभियुक्त चंदनसिंह ने ट्रेक्टर को तेज गाति एवं लापरवाही से चलाकर पलटा दिया था। इस प्रकार उपर्युक्त साक्षीगण की साक्ष्य से अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

महेंद्र सिंह (अ.सा.—2) ने यह बताया है कि उसे गांव के एक

14

व्यक्ति ने फोन करके बताया था कि बुण्डाला नहर में द्राली पलट गयी है। जब वह मौके पर गया तो देखा द्रेक्टर द्राली पलटी हुई थी उसके नीचे एक महिला और अन्य लोग दबे हुए थे। उसने तथा अन्य लोगों ने मदद करके द्राली हटायी जिसमें से महिला की मृत्यु हो गयी थी। अभियोजन अधिकारी द्वारा इस साक्षी से भी प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव को सही बताया है कि चंदन, कनक, मुकेश घायल हो गये थे और सरस्वतीबाई मर गयी थी। उसे ध्यान नहीं है कि अभियुक्त चंदन ने द्राली तेजी और लापरवाही से चलाकर पलटा दी थी और द्राली का नंबर एमपी—48—एम—2395 लिखा हुआ था। नान्हू (अ.सा.—3) ने यह बताया है कि उसे शाम को फोन पर पता चला कि उसकी लड़की मी मौत द्रेक्टर द्राली के पलटने से हो गयी है। द्रेक्टर अभियुक्त चंदन चला रहा था। उसकी लड़की द्राली में बैठी थी। गांव के लड़के ने बताया था कि अभियुक्त द्रेक्टर को बहुत ताकत से चला रहा था, गुलाई पर बहुत तेजी से भगा रहा था।

- 15 महेंद्र सिंह (अ.सा.—2) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि वह धाटना के समय मौके पर नहीं था। घटना के समय वाहन कौन चला रहा था, वाहन कैसे चल रहा था और घटना किसकी गलती से हुई थी वह नहीं बता सकता। उसने पुलिस को वाहन नंबरों की जानकारी भी नहीं दी थी। जब वह मौके पर गया था तब अभियुक्त वहां पर उपस्थित नहीं था। नान्हू (अ.सा.—3) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसने दुर्घटना होते नहीं देखी थी। बाद में पता चला था कि लड़की का एक्सीडेंट हो गया है। दुर्घटना कैसे हुई इस बात की उसे जानकारी नहीं है। उपर्युक्त साक्षीगण अपने कथनों पर स्थिर भी नहीं है। साथ ही अनुश्रुत साक्षी भी है। अतः उक्त साक्षीगण से भी अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।
- 16 प्रकरण में आहत साक्षी कनकसिंह (अ.सा.—6) की साक्ष्य उपलब्ध है। अतः मात्र आहत कनकसिंह के कथनों से यह देखा जाना है कि क्या घटना के समय अभियुक्त चंदन वाहन को चला रहा था और उसके द्वारा ट्रेक्टर को उपेक्षा एवं लापरवाही से चलाकर घटना कारित की गयी ?
- 17 कनकसिंह (अ.सा.—6) ने अपने कथनों में यह बताया है कि घटना ग्राम उमरिया के पास की शाम 5 बजे की है। घटना के समय द्रेक्टर से वह, उसके चाचा, टीनू उर्फ सरस्वतीबाई और मुकेश द्रेक्टर से आ रहे थे। द्रेक्टर को उसके चाचा चंदन चला रहे थे। गाड़ी कटी नहीं और किनार पर कूद गयी थी। जिससे उसके दांहिने पैर पर चोट आकर उसका पैर टूट गया था। टीनू उर्फ सरस्वतीबाई की मौके पर ही मृत्यु हो गयी थी और मुकेश को भी चोटें आयी थी। उसके चाचा अभियुक्त चंदन गाड़ी को स्पीड से चला रहे थे। अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षी से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह बताया है कि उसे आज याद नहीं है कि द्रेक्टर का नंबर

एमपी—48—एम—2394 एवं द्राली का नंबर एमपी—48—एम—2395 था। इस सुझाव को गलत बताया है कि अभियुक्त चंदन देक्टर को लापरवाही से चला रहा था एवं साक्षी ने अभियोजन अधिकारी द्वारा सुझाव दिये जाने पर उसके पुलिस कथन (प्रदर्श पी—10) के असे अएवं बसे बभाग को पढ़कर सुनाये जाने पर पुलिस को ऐसा न बताया जाना प्रकट किया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि उसके चाचा अभियुक्त चंदनसिंह गाड़ी को धीरे—धीरे चला रहे थे। उसके चाचा की लापरवाही से दुर्घटना कारित नहीं हुई थी।

प्रकरण में स्वयं आहत साक्षी कनकसिंह ने यह बताया है कि ध ाटना के समय वाहन को अभियुक्त चंदन ही चला रहा था परंतु आहत के द्वारा वाहन अभियुक्त द्वारा उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाये जाने से इनकार किया गया है। इसके अतिरिक्त बचाव अधिवक्ता के द्वारा अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक को वाहन चलाये जाने के संबंध में कोई चुनौती भी नहीं दी गयी है जिससे प्रकरण में आयी साक्ष्य से यह पूर्णतः स्थापित है कि घटना दिनांक को ट्रेक्टर क. एमपी-48-एम-2394 एवं ट्राली क. एमपी-48-एम-2395 अभियुक्त चंदन चला रहा था परंतु अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं हो रहा है कि अभियुक्त के द्वारा वाहन को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर दुध टिना कारित की गयी जिसके परिणाम स्वरूप मुकेश, कनकसिंह को स्वेच्छया उपहति कारित हुई एवं टिनू उर्फ दीपू उर्फ सरस्वती की ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती। फलतः अभियुक्त को धारा 279 भा.दं.सं. के अपराध का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अभियुक्त द्वारा वाहन को चलाये जाने का तथ्य अखंडित है। मोटर यान अधिनियम 1988 के अंतर्गत वाहन चालक द्वारा वाहन को बिना लायसेंस एवं बिना वैध बीमा के चलाया जाना अपराध घोषित किया गया है। वाहन चलाते समय वाहन का वैध बीमा होना एवं वैध लायसेंस होना प्रमाणित करने का भार वाहन चालक पर होता है। अभियुक्त की ओर से घटना दिनांक को वाहन का वैध बीमा होना तथा अभियुक्त का वैध लायसेंस होने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है। ऐसे में यह उपधारित किया जायेगा कि अभियुक्त ने घटना दिनांक 18.06.2011 को द्रेक्टर क. एमपी-48-एम-2394 को बिना वैध बीमा एवं बिना वैध लायसेंस के चलाया। फलतः अभियुक्त को धारा 3/181 तथा 146/196 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध में दोषी पाया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क. 05 का निराकरण

19 उपर्युक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर द्रेक्टर द्राली को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्ण तरीके से संचालित कर मानव जीवन संकटापन्न कर एवं उक्त द्रेक्टर द्राली को पलटाकर उसमें बैठे मुकेश, कनकिसंह को स्वेच्छया उपहित कारित की एवं टिनू उर्फ दीपू

उर्फ सरस्वती की ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती। अतः अभियुक्त चंदनसिंह को धारा 279, 337(दो काउंट में), 304(ए) के अपराध से दोषमुक्त करते हुए धारा 3/181 एवं 146/196 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराया जाता है।

- 20 दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया। अभियुक्त अपराध कारित करते समय अपने कृत्य की प्रकृति तथा उसके संभावित परिणाम को समझने में भली भांति सक्षम था। अतः उसे परीविक्षा का लाभ दिया जाना न्याय संगत नहीं है। प्रकरण की तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त चंदन को धारा 3/181 मोटरयान अधिनियम के अपराध के लिए 500/— रूपये के अर्थदंड से तथा अर्थदंड अदा न करने पर 7 दिवस के साधारण कारावास से तथा धारा 146/196 मोटरयान अधिनियम के अपराध के लिए 500/— रूपये के अर्थदंड से एवं अर्थदंड अदा न करने पर 7 दिवस के साधारण कारावास से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम पर अधिरोपित कारावास पृथक—पृथक भुगताया जायेगा।
- 21 अभियुक्त जिस अवधि के लिए अन्वेषण, जांच अथवा विचारण के दौरान अभिरक्षा में रहा हो। तत्संबंध में उसका धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।
- 22 प्रकरण में जप्तशुदा ट्रेक्टर क. एमपी—48—एम—2394 एवं द्राली क. एमपी—48—एम—2395 मय जप्तशुदा रिजस्ट्रेशन के सुपुर्ददार संजय पिता ईलमिसंह निवासी कोंढरखापा, तहसील मुलताई जिला बैतूल को अस्थायी सुपुर्दनामे पर प्रदान किया गया है। अपील अविध पश्चात उक्त सुपुर्दनामा भारहीन हो। अपील होने की दशा में अपीलीय माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार व्ययन की जावे।
- 23 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान उपस्थिति हेतु प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)